

Duplicate Copy

05-Apr-2022

आदेश

तिथि

Nov 29 2021

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा बारामुडी थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
177	665	0 एकड़, 4.44 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
RAM PRASAD PANDIT	पिता	LATE RAM SWARUP PANDIT

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2404 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री राम प्रसाद पंडित	पिता	स्व0 राम स्वरुप पंडित

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **5रुपये****स्वीकृत**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद